पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक :–No./Acad./2022/ 11947 दिनांक : 12/05/2022

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 11.05.2022 का कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 11.05.2022 को विश्वविद्यालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 11:30 बजे आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:

1. प्रो. भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ. हेमबारी	प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
3. डॉ. सौमित्रनाथ झा	प्रतिनिधि, आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान	सदस्य
4. डॉ. विभव कुमार शुक्ला	(माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित)	सदस्य
5. डॉ. प्रेम सिंह मीणा	(राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
6. डॉ. रवीन्द्र कटेवा	(राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
7. डॉ. डी.पी. मीणा	संकायाध्यक्ष कला	सदस्य
8. डॉ. दिलसुख थालौड़	संकायाध्यक्ष विधि	सदस्य
9. डॉ. पुष्पा चौधरी	संकायाध्यक्ष समाज विज्ञान	सदस्य
10. डॉ. अशोक गोदारा	संकायाध्यक्ष शिक्षा	सदस्य
11. श्री रामानन्द शर्मा	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड भौतिक विज्ञान	सदस्य
12. डॉ. चन्द्रमोहन राजोरिया	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड रसायन विज्ञान	सदस्य
13. डॉ. एन. के. बावलिया	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड वनस्पति विज्ञान	सदस्य
14. डॉ. रणवीर सिंह	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड गणित	सदस्य
15. श्री महिपाल	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड अर्थशास्त्र	सदस्य
16. डॉ. महेन्द्र सिंह चौधरी	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड इतिहास	सदस्य
17. डॉ. भागीरथ मल	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड लोक प्रशासन	सदस्य
18. डॉ. महेश गिठाला	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड समाज शास्त्र	सदस्य
19. श्री यशपाल	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड अंग्रेजी	सदस्य
20. डॉ. राजेन्द्र सिंह	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड हिन्दी	सदस्य
21. डॉ. रामनारायण झा	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड संस्कृत	सदस्य
22. डॉ. मधु गढ़वाल	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड शिक्षा	सदस्य
23. डॉ. अशोक कुमार मीणा	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड एबीएसटी	सदस्य
24. डॉ. भूपेन्द्र कुमार	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड ईएएफएम	सदस्य
25. श्री रतन कुमार	कुलसचिव	सदस्य सचिव

नोटः बैठक में डॉ. हेमबारी, प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डॉ. सौमित्रनाथ झा, प्रतिनिधि, आयुक्त एवं डॉ. विभव कुमार शुक्ला (माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित) ऑनलाईन उपस्थित हुए।

डॉ. नीलम भार्गव, संकायाध्यक्ष विज्ञान, डॉ. मदन सिंह, संकायाध्यक्ष वाणिज्य, डॉ. सुरेश कुमार नायक, अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड विधि, डॉ. नीना गुप्ता, अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड जन्तु विज्ञान, डॉ. मनोज कुमार, अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड भूगोल, डॉ. मंजू लाडला, अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड राजनीति विज्ञान एवं डॉ. के. एम. मोदी, अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड व्यावसायिक प्रशासन बैठक में अनुपस्थित रहे।

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया एवं विश्वविद्यालय के नये कुलसचिव से परिचय करवाया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत मदों (Agendas) पर निम्नानुसार निर्णय किये गयेः

Item Agenda (मद) 1 :– विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 03.01.2022 के कार्यवृत का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – I)

निर्णयः विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 03.01.2022 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि की गई।

Item Agenda (मद) 2 :– कला, विज्ञान, वाणिज्य, समाज विज्ञान, विधि एवं शिक्षा संकायों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डल द्वारा वर्ष 2023 के लिए पाठ्यक्रम पारित करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – II)

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 3 :– विश्वविद्यालय में पुस्तकालय के लिए पाठ्य पुस्तकों, सन्दर्भ पुस्तकों व अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों के क्रय के लिए पुस्तकालय समिति की सिफारिश पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – III)

निर्णयः विश्वविद्यालय में पुस्तकालय के लिए पाठ्य पुस्तकों, सन्दर्भ पुस्तकों व अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों जो आवश्यक एवं उपयोगी हो, के क्रय के लिए पुस्तकालय समिति की सिफारिश का अनुमोदन किया गया। इसमें प्रत्येक विषय के अध्ययन मण्डल से पाठ्य पुस्तकों, सन्दर्भ पुस्तकों एवं अच्छे प्रकाशकों व लेखकों की पुस्तकों, इत्यादि की सूची लिये जाने का निर्णय किया गया। भारतीय चिंतकों (Indian Thinkers) की पुस्तकों को क्रय करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें उनकी मूल लिपि (Original Script) को प्राथमिकता दी जावे। प्राचीन समय के भारतीय ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, शुक्र नीति, चाणक्य का साहित्य इत्यादि एवं आधुनिक भारत के चिंतकों जैसे प्रेमचंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू, डॉ. भींवराम अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, चौधरी चरण सिंह इत्यादि के मूल लिपि (Original Script) के ग्रंथ यदि उपलब्ध हो, तो खरीदे जावे। सभी विषयों के विषयवार कोष भी खरीदे जाने का निर्णय किया गया, जैसे– अंगेजी विषय में शेक्सपीयर, मिल्टन, गणित विषय में रामानुजम के ग्रंथ खरीदे जाये एवं प्रत्येक विषय की संदर्भ पुस्तकें (Reference Books) भी खरीदी जाये। महान व्यक्तित्व की

जीवनी, इनसाइक्लोपीडिया खरीदी जाये। संदर्भ पुस्तकें (Reference Books), पाठ्यक्रम पुस्तकें (Course Books), दुर्लभ पुस्तकें (Rare Books), Original Script खरीदी जाये। बंग्ला, कन्नड़, मराठी इत्यादि में लिखे गये साहित्य को हिन्दी एवं अंग्रेजी में अनुदित साहित्य को भी खरीदा जाये। पुस्तकालय के लिए पुस्तकें पुस्तक एजेन्सी से खरीदी जाये। प्रकाशक से पाठ्यपुस्तकें तब खरीदी जावे जब वो अधिकतम छूट (Discount) देते हों। **किताबें खरीदने के साथ–साथ ई–बुक्स खरीद को प्राथमिकता दिये जाने का निर्णय किया गया।**

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के पुस्तकालय भवनों एवं उनमें किताबों की सूची व रख–रखाव की व्यवस्था हेतु संकायवार एक समिति का गठन किये जाने का निर्णय किया गया:–

1. डॉ. डी. पी. मीणा, कला संकाय
2. डॉ. भूपेन्द्र कुमार, वाणिज्य संकाय
3. डॉ. डी. एस. थालौड़, विधि संकाय
4. डॉ. पुष्पा चौधरी, समाज विज्ञान संकाय
5. डॉ. एन. के. बावलिया, विज्ञान संकाय
6. डॉ. अशोक कुमार गोदारा, शिक्षा संकाय

Item Agenda (मद) 4 :– विश्वविद्यालय की वर्ष 2022 की सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय की वर्ष 2022 की सैद्धांतिक परीक्षाएं दिनांक 25 मई, 2022 से शुरू किये जाने का निर्णय किया गया और उसके पश्चात प्रायोगिक परीक्षाओं के आयोजन का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 5 :– अन्य विश्वविद्यालयों से पूर्व में पाठ्यक्रम कार्य (Course Work) कर चुके विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम कार्य (Course Work) में छूट प्रदान करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः अन्य विश्वविद्यालयों से पूर्व में पाठ्यक्रम कार्य (Course Work) कर चुके विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम कार्य (Course Work) में छूट प्रदान करने के संबंध में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमों का पालन किये जाने का निर्णय किया गया। अन्य विश्वविद्यालयों से अधिकतम 3 वर्ष पूर्व में पाठ्यक्रम कार्य (Course Work) कर चुके विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम कार्य (Course Work) में छूट प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 6 :– जे.आर.एफ. रिसर्च स्कोलर्स को यू.जी.सी. द्वारा दी जाने वाली छात्रवृति के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः जे.आर.एफ. रिसर्च स्कोलर्स को यू.जी.सी. द्वारा दी जाने वाली छात्रवृति के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का पालन किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 7 :– संकायाध्यक्षों की समिति द्वारा पी.एचडी. पाठ्यक्रम कार्य (Course Work) हेतु निर्मित पाठ्यक्रम पारित करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – IV)

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 8 :– विश्वविद्यालय के स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु रोस्टर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – **V**)

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 9 :– विश्वविद्यालय के स्वीकृत अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु रोस्टर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – **VI**)

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 10 :– प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय के पी.एचडी. पाठ्यक्रम के शोधार्थियों के लिए पाठ्यक्रम कार्य (Course Work) की कक्षाएं लेने वाले शिक्षकों हेतु प्रति कालांश मानदेय निर्धारित करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – **VII**)

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 11 :– विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में संचालित पर्यावरण एवं कम्प्यूटर विज्ञान विषय की अध्यापन पद्धति, परीक्षा पद्धति पर विचार एवं निर्णय करना।

निर्णयः स्नातक प्रथम वर्ष में अनिवार्य विषय के रूप में संचालित पर्यावरण अध्ययन विषय में सैद्धान्तिक पेपर के स्थान पर प्रायोगिक परीक्षा करवाई जाने का निर्णय किया गया। प्रायोगिक परीक्षा हेतु प्रत्येक छात्र से महाविद्यालय परिसर में 10 पेड़ लगवाकर, उन्हीं पेड़ों के विवरण जैसे वैज्ञानिक नाम, पेड़ के उगने हेतु उपयुक्त जलवायु, मृदा, पेड़ का वैज्ञानिक अध्ययन, उसके फायदे इत्यादि के बारे में एक फाइल तैयार कर महाविद्यालय में जमा करवाने का निर्णय किया गया एवं उसके अनुसार आंतरिक मूल्यांकन किये जाने का निर्णय किया गया।

टेबल एजेण्डा

Table Agenda (मद) 1 :– विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करते समय किसी भी पाठ्यक्रम या विषय को संचालित करने हेतु निर्धारित सीट आवंटित की जाती हैं। यदि महाविद्यालयों द्वारा इन अधिकतम सीटों से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं, तो उन महाविद्यालयों पर लगाई जाने वाली शास्ति एवं ऐसे छात्रों के प्रवेश के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः महाविद्यालयों द्वारा इन अधिकतम सीटों से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं, तो उन महाविद्यालयों पर प्रति छात्र शास्ति लगाने हेतु प्रबंध बोर्ड को अधिकृत किया गया। ऐसे विद्यार्थियों को स्वयंपाठी किये जाने का निर्णय किया जाता है।

Table Agenda (मद) 2 :– आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के द्वारा जारी प्रवेश नीति में वर्णित शर्तों के अलावा यदि विद्यार्थी एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण करवाकर प्रवेश लेता है तो प्रवेश देने वाले महाविद्यालय पर प्रति छात्र लगाई जाने वाली पैनल्टी के संबंध में विचार एवं निर्णय।।

निर्णयः प्रवेश नीति में वर्णित शर्तों के अलावा यदि विद्यार्थी एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण करवाकर प्रवेश लेता है तो प्रवेश देने वाले महाविद्यालय पर प्रति छात्र शास्ति लगाने हेतु प्रबंध बोर्ड को अधिकृत किया गया। ऐसे विद्यार्थियों को स्वयंपाठी किये जाने का निर्णय किया जाता है।

Table Agenda (मद) 3 :– आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के द्वारा जारी प्रवेश नीति में किसी भी पाठ्यक्रम या विषय में न्यूनतम छात्र संख्या होने पर ही वह पाठ्यक्रम या विषय उस सत्र में संचालित किया जाता है। यदि महाविद्यालयों ने इस न्यूनतम संख्या का पालन नहीं करते हुए पाठ्यक्रम या विषय संचालित किए हैं, तो उन महाविद्यालयों पर लगाई जाने वाली शास्ति एवं ऐसे छात्रों के प्रवेश के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः महाविद्यालय द्वारा इन अधिकतम सीटों से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं, तो उन महाविद्यालयों पर प्रति छात्र शास्ति लगाने हेतु प्रबंध बोर्ड को अधिकृत किया गया। ऐसे विद्यार्थियों को स्वयंपाठी किये जाने का निर्णय किया जाता है।

Table Agenda (मद) 4 :– आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के द्वारा जारी प्रवेश नीति के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष के स्वयंपाठी विद्यार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया जाता है। यदि महाविद्यालय द्वारा 50 प्रतिशत से कम अंक अर्जित करने पर स्नातक द्वितीय वर्ष में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश दिया जाता है तो उस महाविद्यालय पर प्रति छात्र लगाई जाने वाली पैनल्टी के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः महाविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष के स्वयंपाठी विद्यार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिये जाने पर प्रति छात्र शास्ति लगाने हेतु प्रबंध बोर्ड को अधिकृत किया गया। ऐसे विद्यार्थियों को स्वयंपाठी किये जाने का निर्णय किया जाता है।

Table Agenda (मद) 5 :– विश्वविद्यालय से समब्द्ध महाविद्यालयों में योग्यताधारी प्राचार्य नियुक्त नहीं होने की स्थिति में लगाई जाने वाली शास्ति के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय से समब्द्ध महाविद्यालयों में योग्यताधारी प्राचार्य नियुक्त नहीं होने की स्थिति में शास्ति लगाने हेतु प्रबंध बोर्ड को अधिकृत किया गया।

Item Agenda (मद) 12 :– <u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।</u>

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

कुलसचिव